



## रक्षा लेखा नियंत्रक (सेना)

CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS (ARMY)

बेल्वेडियर परिसर, आयुध पथ, मेरठ छावनी - 250001

Belvedere Complex, Ayudh Path, Meerut Cantt – 250001

ई-मेल आई.डी./e-mail id: [hindicellcda.dad@nic.in](mailto:hindicellcda.dad@nic.in)



“हर काम देश के नाम”

सं.प्रशा/हि.क/8038/व्यक्तिश: आदेश

दिनांक: 12.04.2022

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी

मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग

एवं संगठन के समस्त अधीनस्थ कार्यालय

विषय: संगठन के मुख्य कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण, प्रवीणता एवं कार्यसाधक ज्ञान के आधार पर प्रेषित किये जाने के संबंध में।

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषय के संबंध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने अनुभाग/ कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण, प्रवीणता एवं कार्यसाधक ज्ञान [प्रवीणता एवं कार्यसाधक ज्ञान का मापदंड, संलग्न राजभाषा अधिनियम 1976 की धारा (9) एवं (10) में विदित है] के आधार पर निम्न प्रारूप में भरकर दिनांक: 25.04.2022 तक इस अनुभाग को प्रेषित करने की कृपा करें।

क्र.सं.	अधिकारियों/ कर्मचारियों का विवरण	अनुभाग/ कार्यालय	प्रवीण/ कार्यसाधक ज्ञान

संलग्नक:- राजभाषा अधिनियम 1976 की धारा (9) एवं (10).

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशा.)

प्रतिलिपि:-

सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रणाली- 111

अनुभाग (स्थानीय)-

वेबसाइट के राजभाषा कोना में अपलोड करने के संबंध में।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशा.)

कृ.प.प.

## राजभाषा अधिनियम 1976 :-

### **09. हिन्दी में प्रवीणता :-**

यदि किसी कर्मचारी ने-

- a. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है; या
- b. स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; या
- c. यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

### **10. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान :-**

1. a. यदि किसी कर्मचारी ने-
    - i. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या
    - ii. केन्द्रीय सरकार की हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या
    - iii. केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या
  - b. यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।
2. यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

3. केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।
4. केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे; परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।